बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग।

आदेश

संचिका संख्या :– 5 नि॰गो॰वि॰(10) 214/2014–........................../ पटना–15, दिनांक–.............

डा॰ संजय कुमार कौशिक, तत्कालीन भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुर, मधुबनी सम्प्रति पशु शल्य चिकित्सक, मनियारी, मुजफ्फरपुर को विभागीय अधिसूचना 1977, दिनांक 29.06.2012 के द्वारा स्थानांतरित करते हुए कनीय सहायक शोध पदाधिकारी, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया। डा॰ कौशिक के उक्त पद पर योगदान समर्पित करने एवं प्रभार ग्रहण के पश्चात संस्थान के तत्कालीन निदेशक डा॰ धर्मेन्द्र सिंह द्वारा डा॰ कौशिक को कार्य आवंटित नहीं किया गया तथा बैठने की व्यवस्था भी नहीं की गयी। डा॰ कौशिक का वेतन भुगतान माह अक्टूबर, 2013 के प्रभाव से रोक दिया गया। उक्त कारण से दोनो पदाधिकारियों के द्वारा एक दूसरे के विरूद्ध आरोप–प्रत्यारोप लगाया गया। फलस्वरूप डा॰ धर्मेन्द्र सिंह, तत्कालीन निदेशक के द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पत्रांक 215, दिनांक 11.02.2014 के द्वारा डा॰ कौशिक को पशुपालन निदेशालय में योगदान करने हेतु विरमित कर दिया गया। दोनों पदाधिकारियों के बीच विवाद संबंधी मामले की जाँच उप सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना से करायी गयी। साथ ही डा॰ कौशिक के द्वारा जाँच पदाधिकारी के संमक्ष हीं संस्थान के निदेशक के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया।

प्रश्नगत मामले में डा॰ धर्मेन्द्र सिंह, तत्कालीन निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना के द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक 01.04.2014 से 10.02.2015 तक डा॰ कौशिक अनुपस्थित थे तथा उनके द्वारा संस्थान में कोई कार्य सम्पादित नहीं किया गया, उक्त आलोक में डा॰ कौशिक को दिनांक 01.04.2014 से 10.02.2015 तक का वेतन देय नहीं होता है। उक्त आलोक में विभागीय सकारण आदेश संख्या 340 नि॰गो॰, दिनांक 11.09.2015 द्वारा डा॰ संजय कुमार कौशिक, तदेन भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुर, मधुबनी सम्प्रति पशु शल्य चिकित्सक मनियारी, मुजफ्फरपुर के दिनांक 01.04.2014 से 10.02.2015 तक की अवधि में कार्य नहीं करने के कारण वेतन भुगतान नहीं किये ज़ाने का आदेश संसूचित किया गया।

वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 645 (24), दिनांक 18.03.2026 द्वारा डा॰ कौशिक के उक्त अवधि का विनियमन आदेश उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उक्त आलोक में मामले के समीक्षोपरांत डा॰ कौशिक के दिनांक 01.04.2014 से 10.02.2015 तक की अवधि (कार्य नहीं तो वेतन नहीं) को अन्य सभी प्रयोजनार्थ सेवा अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

ह॰/–

(सुभाष नारायण)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 5 नि॰गो॰वि॰(10) 214/2014– ..../पटना–15, दिनांक–................

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह॰/–

(सुभाष नारायण)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 5 नि॰गो॰वि॰(10) 214/2014– ..../पटना–15, दिनांक–................

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पटना/मधुबनी/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/–

(सुभाष नारायण)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 5 नि॰गो॰वि॰(10) 214/2014– 267 नि०गो० /पटना–15, दिनांक– 3/06/26

प्रतिलिपि – सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, पशुपालन/क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना/दरभंगा/मुजफ्फरपुर/जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना/मधुबनी/मुजफ्फरपुर/डा॰ संजय कुमार कौशिक, तत्कालीन भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुर, मधुबनी सम्प्रति पशु शल्य चिकित्सक, मनियारी, मुजफ्फरपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, 1 एवं 2/विभागीय आई॰टी॰ मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुभाष नारायण)

सरकार के संयुक्त सचिव।